



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-31082026-275873
CG-TL-E-31082026-275873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4598]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948

No. 4598]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4783(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में 13.02.2026 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ. 731, दि.11.02.2026 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित का.सं. 769(ई) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य- तेलंगाना राज्य के जनगांव जिले में घनपुर गांव और मंडल में सिकंदराबाद-काज़ीपेट सेक्शन में घनपुर टीएसएस का निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार, तेलुगु समाचार पत्रों में “वेलुगु (तेलुगु)”, “साक्षी (तेलुगु)”, “द हिंदू (अंग्रेजी)” और “द मुनसिफ दैनिक (उर्दू)” में दिनांक 19.02.2026 को मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर, निर्माण- II, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था;

और जबकि एलए घनपुर(स्टे) के लिए सक्षम प्राधिकारी ने धारा 20डी के अंतर्गत आपत्तियां प्राप्त की और जांच पूरी होने के बाद रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20डी की उपधारा (2) के अंतर्गत आपत्तियों को अस्वीकार्य किया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गए और, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : तेलंगाना राज्य के जनगांव जिले में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य के लिए सिकंदराबाद-काज़ीपेट सेक्शन में घनपुर टीएसएस का निर्माण”

क्र.सं.	मंडल और गांव का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	पट्टादार का नाम	एंडॉयर का नाम	क्षेत्र	संरचना /अभ्युक्ति
1	घनपुर (स्टेशन)	664	1.24½	पट्टा	शुष्क	आबुनूरी मल्लय्या सुपुत्र रामास्वामी		1.24½	कुछ नहीं
2	घनपुर (स्टेशन)	665 /5	0.21½	पट्टा	शुष्क	खुले प्लॉट		0.21½	कुछ नहीं
कुल								एकड़ 2.06 गुंटा	

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/GNP/20E]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनिर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 27th August, 2026

S.O. 4783(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O.769(E), dated the 11.02.2026, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), gazette No.731 dated the 13.02.2026 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, “Construction of Ghanpur TSS in Secunderabad -Kazipet section for up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target ” in Ghanpur (stn) Village & Mandal in Jangaon District in the state of Telangana.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Velugu (Telugu)”, “Sakshi (Telugu)”, “The Hindu (English)”, “Vaartha(Hindi)” and “The Munsif Daily(Urdu)” dated 19 February, 2026 with the approval of Mothilal Bhookya, Chief Engineer/Con-II, South Central Railway, Secunderabad

And, whereas, Competent authority for LA Ghanpur (Stn)) received objections U/s 20D and after completion of enquiry disallowed the objections under subsection (2) of section 20D of Railways Act 1989. And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of this Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Ghanpur TSS in Secunderabad -Kazipet section for up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target” in Jangaon District in the state of Telangana.

S.No.	Name of the Mandal & Village	Sy. No.	Extent	Type of Land	Nature of Land	Name of the Pattadar	Name of the enjoyer	Extent	Structure/remarks
1	Ghanpur (Stn)	664	1.24½	Patta	Dry	Avunuri Mallaiah S/o Ramaswamy		1.24½	Nil
2	Ghanpur (Stn)	665/5	0.21½	Patta	Dry	Open Plots		0.21½	Nil
Total								Ac.2.06 Gts	

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/GNP/20E]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II